मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 26 जुलाई, 2006 (श्रावण 4, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे.

(क) अधिसूचना क्रमांक 1524-म.प्र.वि.नि.आ-06, दिनांक 15 जून, 2006, तथा

(ख) अधिसूचना क्रमांक 4054-4948-2005-तेरह, दिनांक 30 जून, 2006,

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री घनश्याम सिंह, सदस्य, सागर जिले के जैसी नगर को-ऑपरेटिव बैंक, शाखा करैया द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गिरिराज मण्डलोई, पं. रमेश दुबे एवं श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य, शाजापुर जिले की सड़कों के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री कृष्ण कुमार सिंह "भंवर साहब", बंशमणि प्रसाद वर्मा, अर्जुन पलिया, सदस्य, सीधी जिले की चौफाल पवाई ग्राम के आदिवासियों को भूमि से बेदखल किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में सिंथेटिक दूध एवं नकली घी की बिक्री किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, खाचरौद क्षेत्र में केरोसीन की कालाबाजारी होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के त्यौंथर क्षेत्र में टमस नदी पर पीपा पुल के टूटने से कई लोगों की मौत होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 69-सिरमौर के सदस्य, श्री रामलखन शर्मा को विधान सभा के जुलाई, 2006 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. संविहित संकल्प

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में किये गए संशोधनों का जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1283-एक-(8)54-03-दो-अड़तालीस, दिनांक 1 जुलाई, 06 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 335, दिनांक 1 जुलाई, 06 में प्रकाशित किये गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम पड़रिया में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,
(2) श्री भगवत सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम धौलपुर से सियरमऊ तक सड़क बनाये जाने,
(3) श्री रामदास उइके, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -
(क) ग्राम घानाउमरी से खिड़की कनेरी तक सड़क बनाये जाने,
(ख) ग्राम मोरडोंगरी खुर्द में आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाने,
(ग) ग्राम घानाउमरी में कन्या छात्रावास खोले जाने,
(घ) ग्राम देवगढ़ से गोविन्दवाड़ी तक सड़क बनाये जाने,
(ङ) ग्राम अपतरा के पास नदी पर बांध बनाये जाने, तथा
(च) ग्राम हीरावाड़ी में बालिका छात्रावास खोले जाने,
(4) श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी, सदस्य, सागर जिले के ग्राम खेजरा उद्धेत के पास निर्माणाधीन स्टाप डेम का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,
(5) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य, पन्ना जिले के -
(क) पवई विधान सभा क्षेत्र में वन औषधि उद्योग स्थापित किये जाने, तथा
(ख) ग्राम भैंसाडोल में सिंचाई तालाब का निर्माण कराये जाने,
(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के -
(क) ग्राम बरलाई में डी.पी. लगाये जाने,
(ख) ग्राम भीकमपुर से नागदा तक सड़क बनाये जाने,
(ग) ग्राम पचलासी से पाड़सुत्या के मध्य पुलिया बनाये जाने, तथा
(घ) ग्राम नंदीयासी में हाई स्कूल खोले जाने,
(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी नगर स्थित -
(क) सार्वजनिक धर्मशाला का नवीनीकरण कराये जाने, तथा
(ख) शा. हायर सेकेण्डरी स्कूल की बाउन्ड्रीवाल एवं कमरों का निर्माण कराये जाने,
के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा — (1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 21 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (2) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

45 मि. — प्रदेश की अशासकीय शिक्षण शालाओं में अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर शिक्षा का अवैध शुल्क वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

9. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे — जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 25 जुलाई, 2006